न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी अनिता कुमारी खटीक (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

प्रा0पत्र संख्या–53/2024
प्रा0पत्र प्रविष्टि दिनांक–18.10.2024
निर्णय दिनांक–03.01.2025

कमला देवी पत्नि सत्यनारायण शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम संदेडा तहसील पीपलू जिला टोंक

प्रार्थिया

बनाम

1. तहसीलदार पीपलू जिला टोंक (राज0)
2. भू अभिलेख निरीक्षक लोहरवाडा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

अप्रार्थीगण

आवेदन बाबत् नक्शा शीट दुरुस्ती

अन्तर्गत धारा 131, 136 एल.आर.एक्ट.

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि भूमि आराजी ख0न0 418/2 रकबा 03–00 बीघा अर्थात 0.7587 हैक्ट. वाके ग्राम संदेडा, पटवार हल्का सन्देडा तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। जिसकी प्रार्थिया रिकॉर्डेड खातेदार अभिधारी है। उक्त वर्णित आराजीयात को प्रार्थिया ने तत्कालीन खातेदार मांग्या पुत्र बोदू जाति ब्राह्मण से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.09.1992 से खरीद की थी और मांग्या पुत्र बोदू ब्राह्मण को उक्त वर्णित आराजी आवंटनशुदा थी। वर्तमान नक्शा शीट में जहां प्रार्थिया की खातेदारी की भूमि आराजी ख0न0 418/2 का कब्जा इन्द्राज किया गया है। वह त्रुटीपूर्ण है और मौके व कब्जे के विपरित है। आवंटन के समय आवंटित भूमि की कायम की गई शीट व वर्तमान नक्शा शीट में भिन्नता है, जो त्रुटीपूर्ण होने से दुरुस्त किये जाने योग्य है। आवंटन के समय कायम की गई शीट अनुसार तत्कालीन खातेदार का कब्जा काश्त था और वर्तमान में प्रार्थिया का कब्जा काश्त भी उसी अनुसार है। प्रार्थीया ने पूर्व कब्जे अनुसार ही मौके पर आरी में फसल काश्त कर रखी है, किन्तु कुछ ग्रामवासी नक्शा शीट में हुए त्रुटीपूर्ण इन्द्राज की वजह से जोर जबरदस्ती से अतिक्रमण की झूठी शिकायते कर प्रार्थिया के खेत में जबरन से रास्ता निकालने हेतु प्रयासरत है। प्रार्थीया की ओर से आवंटन पत्रावली की नकल, आवंटन के समय कायम की गई नक्शा शीट की नकल, वर्तमान नक्शा शीट की नकल, प्रार्थीया के नाम दर्ज खातेदारी की भूमि की नकल तथा विक्रय पत्र की प्रति आवेदन के साथ प्रस्तुत की जा रही है। अत: आराजी ख0न0 418/2 रकबा 03–00 बीघा अर्थात 0.7587

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

हैक्ट. वाके ग्राम संदेडा, पटवार हल्का सन्देडा की वर्तमान नक्शा शीट को पूर्व आवंटित शीट अनुसार दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

पत्रावली दर्ज पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गई तथा अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई है। तहसीलदार पीपलू से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार जमाबंदी संवत् 2072–75 (वर्ष 2020 से स्थायी) के खाता संख्या 534 में ख0न0 418/2 रकबा 0.7587 हैक्ट. कमला देवी पत्नि सत्यनारायण शर्मा जाति ब्राह्मण हिस्सा सम्पूर्ण सा.देह खातेदार राहिन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा, पीपलू वाके ग्राम संदेडा में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जमाबंदी संवत् 2072–75 के खाता संख्या 01 में ख0न0 418/1 रकबा 0.2908 हैक्ट. किस्म बजंड प्रथम सिवायचक खाता वाके ग्राम सन्देडा में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। राजस्व एवं भू–सुधार विशेष अभियान वर्ष 1977 भू आवंटन सलाहकार समिति केम्प संदेडा दिनांक 19.05.1986 को मांग्या पुत्र बोदू जाति ब्राह्मण को ख0न0 418 में से 03–00 बीघा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन हुई थी। उक्त आराजीयात जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 09.09.1992 को मांग्या पुत्र बोदू जाति ब्राह्मण ने आराजी ख0न0 418/2 रकबा 03–00 बीघा भूमि कमला देवी पत्नि सत्यनारायण शर्मा जाति ब्राह्मण सा. सन्देडा को बेचान कर दी। प्रार्थिया ने विवादित ख0न0 418/2 रकबा 0.7587 हैक्ट. की तरमीम दुरूस्ती हेतु आवेदन किया है। जिसके संबंध में विवादित ख0न0 418/2 रकबा 0.7587 हैक्ट. का वर्तमान राजस्व सेग्रीगेशन नक्शा शीट में तरमीम, संलग्न रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक एवं पटवारी हल्का संदेडा अनुसार है। उक्त त्रुटी सेग्रीगेशन के समय दोराने तरमीम करते समय हुई है। जो की दुरूस्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थीया ने बहस का निवेदन किया। बहस सुनी गई। प्रार्थीया ने दौराने बहस प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए कहा कि भूमि आराजी ख0न0 ख0न0 418/2 रकबा 03–00 बीघा अर्थात 0.7587 हैक्ट. वाके ग्राम संदेडा में स्थित है। जिसकी प्रार्थिया रिकॉर्डेड खातेदार अभिधारी है। उक्त वर्णित आराजीयात को प्रार्थिया ने तत्कालीन खातेदार मांग्या पुत्र बोदू जाति ब्राह्मण से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.09.1992 से खरीद की थी और मांग्या पुत्र बोदू ब्राह्मण को उक्त वर्णित आराजी आवंटनशुदा थी। वर्तमान नक्शा शीट में जहां प्रार्थिया की खातेदारी की भूमि आराजी ख0न0 418/2 का कब्जा इन्द्राज किया गया है। वह त्रुटीपूर्ण है और मौके व कब्जे के विपरित है। आवंटन के समय आवंटित भूमि की कायम की गई शीट व वर्तमान नक्शा शीट में भिन्नता है, आवंटन के समय कायम की गई शीट अनुसार तत्कालीन खातेदार का कब्जा काश्त था और वर्तमान में प्रार्थिया का कब्जा काश्त भी उसी अनुसार है। प्रार्थीया ने पूर्व कब्जे अनुसार ही मोके पर आराजी में फसल काश्त कर रखी है। प्रार्थीया की ओर से आवंटन पत्रावली की नकल, आवंटन के समय कायम की गई नक्शा शीट की नकल, वर्तमान नक्शा शीट की नकल, प्रार्थीया के नाम दर्ज खातेदारी की भूमि की नकल तथा विक्रय पत्र की प्रति आवेदन के साथ प्रस्तुत की जा रही है। अतः आराजी ख0न0 418/2 रकबा 03–00 बीघा अर्थात 0.7587 हैक्ट. वाके ग्राम संदेडा, पटवार हल्का सन्देडा की वर्तमान नक्शा शीट को पूर्व आवंटित शीट अनुसार दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू ने अपनी बहस में बताया की में ख0न0 418/2 रकबा 0.7587 हैक्ट. कमला देवी पत्नि सत्यनारायण शर्मा जाति ब्राह्मण हिस्सा सम्पूर्ण सा.देह खातेदार राहिन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा, पीपलू वाके ग्राम संदेडा में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जमाबंदी संवत् 2072-75 के खाता संख्या 01 में ख0न0 418/1 रकबा 0.2908 हैक्ट. किस्म बरानी प्रथम सिवायचक खाता वाके ग्राम सन्देडा में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। राजस्व एवं भू-सुधार विशेष अभियान वर्ष 1977 भू आवंटन सलाहकार समिति कैम्प संदेडा दिनांक 19.05.1986 को मांग्या पुत्र बोदू जाति ब्राह्मण को ख0न0 418 में से 03-00 बीघा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन हुई थी। उक्त आराजीयात जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 09.09.1992 को मांग्या पुत्र बोदू जाति ब्राह्मण ने आराजी ख0न0 418/2 रकबा 03-00 बीघा भूमि कमला देवी पत्नि सत्यनारायण शर्मा जाति ब्राह्मण सा. सन्देडा को बेचान कर दी। उक्त विवादित आराजीयात की तरमीम मौके पर प्रार्थीया के कब्जे अनुसार नही की गई है। उक्त खसरा नम्बर की डी.आई.एल.आर.एम.पी. प्लास्टिक नक्शा शीट में कब्जे काश्त व आवंटन शीट के अनुसार, जो संलग्न कर भिजवाया गया है। प्रस्तावित नक्शा शीट अनुसार दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। हाल नक्शा शीट में अंकन त्रुटीपूर्ण होने से दुरूस्त किया जाना उचित है। उक्त त्रुटीपूर्ण तरमीम में किये जाने वाले संशोधन को नजरी नक्शा दर्शाया गया है, जो संलग्न हैं। उक्त त्रुटीपूर्ण तरमीम जो डी.आई.एल.आर.एम.पी. शीट में मोजूद है। उसे दुरूस्त किये जाने हेतु रिपोर्ट रिपोर्ट पेश हैं।

बहस उभयपक्ष सुनी गई व पत्रावली में हाल नक्शा शीट, आवंटन के समय जारी सुपुर्दगीनामा, अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू से प्राप्त प्रस्तावित नक्शा शीट व अप्रार्थी तहसीलदार के जवाब का अवलोकन किया व उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। उक्त अवलोकन से स्पष्ट हैं की प्रार्थीया की विवादित भूमि आराजी ख0न0 418/2 रकबा 0.7587 हैक्ट. वाके ग्राम संदेडा, पटवार हल्का संदेडा की हाल ही में डी.आई.एल.आर.एम.पी. शीट में जो तरमीम की गई है। वह आवंटन के समय के समय दिये गये सुपुर्दगीनामा अनुसार नही की जाकर अन्य जगह कर दी गई है। उक्त त्रुटीपूर्ण राजस्व कर्मचारियों द्वारा सेग्रीगेशन के दौरान संहवन से होना स्पष्ट हैं। तहसीलदार पीपलू ने भी अपनी बहस में उक्त त्रुटीपूर्ण तरमीम को स्वीकार किया है एवं संलग्न प्रस्तावित नक्शा शीट मुताबिक सुपुर्दगीनामा अनुसार दुरूस्त किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की हैं। अतः अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत् नक्शा शीट दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 131, 136 एल.आर. एक्ट. स्वीकार किया जाकर भूमि आराजी ख0न0 418/2 रकबा 0.7587 हैक्ट. वाके ग्राम संदेडा, पटवार हल्का संदेडा की हाल में डी.आई.एल.आर. एम.पी. शीट में की गई त्रुटीपूर्ण तरमीम को निरस्त करते हुए आवंटन के समय दिये सुपुर्दगीनामा को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित नक्शा शीट अनुसार तरमीम संशोधन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार पीपलू ख0न0 418/2 रकबा 0.7587 हैक्ट. वाके ग्राम संदेडा, पटवार हल्का संदेडा की नक्शा शीट (डिजिटल शीट) प्रस्तावित नक्शा शीट मुताबिक सुपुर्दगीनामा अनुसार तरमीम करे। निर्णय आज दिनांक 03.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं नियमानुसार दफ्तर दाखिल हो।

(अखिल कुमार पारीक)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू,
जिला टोंक (राज0)

उपखण्ड अधिकारी पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner